18.12.23 पत्रावली पेश हुई। वकील वादिया एवं पैरोकार राज उपस्थित। बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर वादिया का वादपत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर जमाबन्दी में वादिया नाम एवं जाति दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई)
RAS